

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 1972/ज्येष्ठ 30, 1894
 No. 143] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 1972/JYAISTHA 30, 1894

इस खण्ड में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th June, 1972

No. DRAWBACK/PN-59/72.—Under rule 3 of the Customs and Control Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/P, No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Tables published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 25th October, 1971, with effect from 1st day of July, 1972.

After Sub-Serial No. 2627 and the entries relating thereto, the following Sub-Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

Sub-Serial No.	Description of goods.	Rate of drawback
(1)	(2)	(3)
2628	Cotton fabrics falling under item No. 19-I of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 and manufactured on powerlooms.	
	of 69 or more counts of yarn content.	Rs. 1.85 (Rupee one and paise eighty five only) per kg.

(1)	(2)	(3)
(ii) of 51 or more counts but less than 69 counts of yarn content.	Rs. 1.60 (Rupee one and paise sixty only) per kg.	
(iii) of 40 or more but less than 51 counts of yarn content.	Rs. 1.25 (Rupee one and paise twenty-five only) per kg.	
(iv) of 34 or more but less than 40 counts of yarn content.	Rs. 0.93 (Ninety-three paise only) per kg.	
(v) of 29 or more but less than 34 counts of yarn content.	Rs. 0.75 (Seventy-five paise only) per kg.	
(vi) of 22 or more but less than 29 counts of yarn content.	Rs. 0.35 (Thirty five paise only) per kg.	
(vii) of 14 or more but less than 22 counts of yarn content.	Rs. 0.20 (Twenty paise only) per kg.	
(viii) of less than 14 counts of yarn content.	Rs. 0.10 (Ten paise only) per kg.	

Provided that:—(i) where the fabric contains 2 or more yarns of different counts and are falling under different count groups mentioned above, the drawback shall be allowed on the basis of the weight of each category of yarn at the rate applicable to the count groups aforesaid.

(ii) the count of yarn shall be size of grey unsized yarn expressed as the number of 1000 metre hanks per one half kg.

(iii) the manufacturer/exporter declares in the Shipping Bill that Central Excise duty on yarn used in the manufacture of cotton fabrics has been paid.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

M. PANCHAPPA, Director (Drawback).

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०/59 72. — सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधि-सूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्-द्वारा जुलाई 1972 के प्रथम दिन से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2627 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित उप-क्रम सं० तथा प्रविष्टियां श्रुतःस्थापित की जायेंगी :—

उप-क्रम सं०	भाल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3
2628	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19-स के अन्तर्गत आने वाले तथा विद्युत करघे पर निर्मित सूती कपड़े ।	
(i)	धागा अन्तर्वस्तु की 69 अथवा अधिक अटियों वाले ।	1.85 रु० (केवल एक रूपया पिचासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ii)	धागा अन्तर्वस्तु की 51 अथवा अधिक परन्तु 69 से कम अटियों वाले ।	1.60 रु० (केवल एक रूपया साठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।]
(iii)	धागा अन्तर्वस्तु की 40 अथवा अधिक परन्तु 51 से कम अटियों वाले ।	1.25 रु० (केवल एक रूपया पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(iv)	धागा अन्तर्वस्तु की 34 अथवा अधिक परन्तु 40 से कम अटियों वाले ।	0.93 रु० (केवल तिरानवे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(v)	धागा अन्तर्वस्तु की 29 अथवा अधिक परन्तु 34 से कम अटियों वाले ।	0.75 रु० (केवल पित्तस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(vi)	धागा अन्तर्वस्तु की 22 अथवा अधिक परन्तु 29 से कम अटियों वाले	0.35 रु० (केवल पैंतिस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1

2

(3)

(vii) धागा अन्तर्बस्तु की 14 अथवा अधिक 0.20 रु० (केवल बीस पैसे) प्रति किलो-परन्तु 22 से कम अंटियों वाले । ग्राम ।

(viii) धागा अन्तर्बस्तु की 14 से कम अंटियों 0.10 रु० (केवल दस पैसे) प्रति किलो-वाले । ग्राम ।

परन्तु यह तब :— (i) जब कि कपड़े में विभिन्न अंटियों के दो अथवा अधिक धागे हों तथा वे उपर्युक्त विभिन्न अंटी-समूहों के अन्तर्गत आते हों तो प्रतिअदायगी, प्रत्येक श्रेणी के धागे के भार के आधार पर उक्त अंटी समूहों पर लागू दर से दी जायगी ।

(ii) धागे की अंटी बिना मांछ लगे कोरे धागे के आकार की होंगी जिन्हें 1000 मीटर अंटियां प्रति प्राधा किलोग्राम की संख्या के रूप में वर्णित किया गया है ।

(iii) निर्माता/निर्यातकर्ता शिपिंग बिल में घोषणा करता है कि सूती कपड़ों के निर्माण में प्रयुक्त धागे पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी कर दी गई है ।

इस सार्वजनिक सूचना के लागू हो जाने से उपर्युक्त माल के सम्बन्ध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए निर्धारित सभी ब्राण्ड वरें वापस ले ली गई समझी जायेंगी ।

एम० पंचप्पा,

निदेशक (प्रतिअदायगी) ।